Scanned with CamScanner

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) मनेन्द्रगढ़,
जिला–कोरिया (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी – आनंद प्रकाश दीक्षित)

विशेष आ.प्र.क.–60/2019
संस्थित दिनांक– 16/01/2018

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा–आरक्षी केन्द्र झगराखांड
जिला–कोरिया (छ.ग.)

———**अभियोजन**

// विरुद्ध //

रमेश शर्मा, पिता छोटेलाल, उम्र–25 वर्ष, साकिन–बरगंवा, वार्ड न.10 डेयरी फार्म के पास अनुपपुर, जिला–अनुपपुर (म.प्र.)

———**अभियुक्त**

अभियोजन की ओर से	श्री जी.एस.राय विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त की ओर से	श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

निर्णय
(आज दिनांक 07.02.2022 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग है कि उसने घटना दिनांक 04.09.2017 को समय लगभग 10.30 बजे पीड़िता को उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना उनके विधिपूर्ण संरक्षण से हटाते हुए भठिया मंदिर जैतपुर, अमलाई बरगंवापारा ले जाकर व्यपहरण कारित किया तथा पीड़िता का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध उससे विवाह करने के आशय से अथवा उससे अयुक्त संभोग

करने के लिए विवश कर उत्प्रेरित किया साथ ही पीडिता के साथ बलपूर्वक बार–बार संभोग एवं प्रवेशन लैंगिक हमला व गुरूत्तर लैंगिक हमला कर बलात्कार किया, ऐसा कर **धारा 363, 366, 376 (2) (N) भारतीय दण्ड संहित (जिसे आगे "भा.द.सं." से संबोधित किया जावेगा)** तथा **धारा 4, 6, 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (जिसे आगे "अधिनियम" से संबोधित किया जावेगा)** का दण्डनीय अपराध कारित किया।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।

3. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता की अभियुक्त से पहचान उसके जीजा के साथ उसके घर पर आने से हुई थी उसके बाद से अभियुक्त, पीडिता के मोबाईल पर फोन करके पीडिता से बात करने लगा तथा बातचीत के दौरान पीडिता से प्यार करता हूँ शादी करना चाहता हूँ बोलता था, अभियुक्त पीडिता को फोन कर शादी करने के लिए भठिया मंदिर ले जाने की बात बोलकर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिनांक 04.09.2017 को मोटरसायकल से भठिया मंदिर लेकर गया जहां घुमा फिरा कर शाम करीबन 7 बजे अपनी भाभी के घर ले गया, दिनांक 05.09.2017 की सुबह अभियुक्त अपनी मोटरसायकल से पीडिता को अपने घर अमलाई बरगंवापारा ले गया जहां पीडिता मांग में सिंदूर भरकर मेरी पत्नी हो जल्दी ही समाज के सामने शादी कर लुंगा बोलकर पीडिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया, दिनांक 05.09.2017 से दिनांक 10.09.2017 तक पीडिता को अपने घर में रखकर पीडिता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, मामले में आरक्षी केन्द्र–झगराखांड द्वारा

Scanned with CamScanner

अपराध कमांक 139/2017 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. के अपराध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध **363, 366, 376 (2) (ढ) भा.दं. सं. एवं धारा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के अपराध में अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को **धारा 363, 366, 376 (2) (N) भा.दं.सं. एवं धारा 4, 6, 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** का आरोप तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपना अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा, धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया, अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है:–

प्रथम – क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर पीडिता को उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना उनके विधिपूर्ण संरक्षण से हटाते हुए भठिया मंदिर जैतपुर, अमलाई बरगंवापारा ले जाकर व्यपहरण कारित कर **धारा 363 भा0द0सं0** का दण्डनीय अपराध कारित किया?

द्वितीय – क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर पीडिता का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध उससे विवाह करने के आशय से अथवा उससे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश कर

Scanned with CamScanner

जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा **अधिनियम की धारा 6** का अपराध, संशोधन अधिनियम कमांक–25 सन् 2019 प्रभावशील तिथि 16.08.2019 के पूर्व कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। प्रश्नगत मामले में भारतीय दण्ड संहिता में **गुरूतर (Greater)** दंड का प्रावधान है। ऐसे में अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता में दी गई सजा से दण्डित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

17. अभियुक्त के द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर ले जाकर उसके साथ कई बार बलात्संग करने एवं गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित किया गया है, उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता हैः–

1. अभियुक्त को **धारा 363 भा.द.सं.** के अपराध में **2 वर्ष के सश्रम कारावास** तथा **500/– रूपये (अक्षरी–पांच सौ रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में पृथक से **एक माह के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

2. अभियुक्त को **धारा 366 भा.द.सं.** के अपराध में **5 वर्ष के सश्रम कारावास** तथा **500/– रूपये (अक्षरी–पांच सौ रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में पृथक से **एक माह के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

3. अभियुक्त को **धारा 376 (2) (N)** के अपराध में **10 वर्ष के सश्रम कारावास** तथा **500/– रूपये (अक्षरी–पांच सौ रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में पृथक से **एक वर्ष के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

18. अभियुक्त को दी गई सारवान कारावास की सजा एक साथ भुगताये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

19. अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा किये जाने पर अपील न होने की दशा में अपील अवधि अवसान पश्चात उक्त राशि पीडिता को हुई शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

20. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि उसको दी गई सारवान कारावास की सजा में समायोजित किया जावे, तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया गया जो कि निर्णय का भाग होगा।

21. अभियुक्त की ओर से धारा 437 (क) द.प्र.सं. के पालन में प्रस्तुत मुचलका उक्त प्रावधान अनुसार 6 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

22. घटना के परिणामस्वरूप पीडिता को हुई शारीरिक एवं मानसिक पीडा की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव नही है परंतु पीडिता के साथ हुए बलात्संग एवं गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला तथा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण की पीडिता के पक्ष में प्रतिकर की अनुंशसा किया

Scanned with CamScanner